7166
19/8/16

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

:: ***संकल्प*** ::

<u>कृपया पढ़े</u> :–

1. उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा का पत्रांक– 1222/गो0 दिनांक 10.04.2010 एवं पत्रांक– 3506/गो0 दिनांक 02.12.2012
2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड का पत्रांक– 3080 दिनांक 08.06.2011

श्री प्रदीप प्रसाद, झा0प्र0से0, (कोटि क्रमांक 664/03, गृह जिला– देवघर) जिला पंचायती राज पदाधिकारी, लोहरदगा के विरूद्ध इनके अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा के पद पर कार्यावधि से संबंधित उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के पत्रांक– 1222/गो0 दिनांक 10.04.2010 द्वारा प्रपत्र– 'क' मे आरोप प्रतिवेदित है।

प्रपत्र– 'क' में इनके विरूद्ध निम्न आरोप लगाये गये हैः–

1. पश्चिमी सिंहभूम जिला अन्तर्गत अंचल सदर चाईबासा मौजा– मतकमहातु, थाना– नं0–642, पूराना खाता नं0– 01, नया खाता नं0– 191, कुल रकबा– 0.39 एकड़, हाल सर्वे खतियान– 1964 के अनुसार नरेश हो, पिता– दुम्बी मुण्डा, जाति– हो के नाम से दर्ज अनुसूचित जनजाति की भूमि है। नामान्तरण वाद सं0– 325/06–07, 326/06–07, 327/06–07 एवं 328/06–07 द्वारा आदिवासी खाते की रैयती भूमि का नामान्तरण गैर आदिवासी व्यक्तियों के साथ करते हुए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम– 1908 की धारा– 46 का उल्लंघन किया गया है।

2. सी0एस0 खतियान के अनुसार मौजा– मतकमहातु, थाना नं0– 642, खाता नं0– 01, प्लॉट नं0– 1003, रकबा 4 एकड़ 62 डी0 (4.62 एकड़) अनावाद मालिक खाते की भूमि थी, उक्त भूमि मे से विविध वाद सं0– 520/1953 द्वारा कोल्हान अधीक्षक, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा ने नाबालिग नरेश देवगम पिता– दुम्बी देवगम को कुल 0.95 एकड़ भूमि बन्दोबस्त की थी।

उक्त बन्दोबस्त भूमि की बिक्री बन्दोबस्तदार नाबालिग नरेश देवगम की ओर से उनके पिता दुम्बी देवगम द्वारा निबंधित विक्रय पत्र सं0– 1542, 1543 एवं 1546 सभी दिनांक 21.11.1963 द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम– 1908 की धारा– 46 के प्रावधानों के प्रतिकूल अनुसूचित जनजाति परिवारों की भूमि कूटरचित दस्तावेजों का सृजन कर अवैध तरीके से गैर अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा प्राप्त की गयी।

श्री प्रसाद द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम– 1908 की धारा–46 के प्रावधानों को नजरअंदाज करते हुए कूटरचित दस्तावेजों को आधार बनाकर गैर आदिवासियों के साथ उक्त भूमि नामान्तरित किया गया।

3. इस प्रकार श्री प्रसाद द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा–46 के प्रावधानों एवं समय–समय पर सरकार द्वारा निर्गत निर्देशों/अनुदेशों का उल्लंघन किया गया जो इनके स्वेच्छाचारिता, अनुशासनहीनता एवं कर्त्तवयहीनता का परिचायक है।

उक्त आरोपों के संबंध में श्री प्रसाद से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री प्रसाद द्वारा अपना स्पष्टीकरण पत्रांक– 64 दिनांक 24.02.2011 द्वारा समर्पित किया गया। श्री प्रसाद द्वारा अपने स्पष्टीकरण में निम्न तथ्य समर्पित किया गया :–

(क) कोल्हान क्षेत्र में Wilkinson's Rule के तहत् राजस्व (भूमि राजस्व) संग्रहण का कार्य ग्रामीण मुण्डा/मानकी के द्वारा किया जाता है। पंजी–II का संधारण एवं रख–रखाव भी मुण्डा के द्वारा किया जाता है। ग्रामीण मुण्डा, ग्राम–मतकमहातु के द्वारा प्रश्नगत् भूमि के अंतरण के संबंध में किसी भी प्रकार की शिकायत या प्रतिवेदन अंचल कार्यालय या भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता के कार्यालय में नहीं दी गयी है।

(ख) नामान्तरण से किसी के हकियत का निर्माण नहीं होता है। इनके द्वारा नामान्तरण भू–राजस्व संग्रहण के उद्देश्य से किया गया है।

(ग) अंचल निरीक्षक एवं राजस्व कर्मचारी के प्रतिवेदन के आलोक में इनके द्वारा नामान्तरण किया गया है।

श्री प्रसाद के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक– 3080 दिनांक 08.06.2011 द्वारा उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा से मंतव्य की मांग की गयी एवं तदुपरि स्मार पत्रांक–5426 दिनांक 10.09.2011, पत्रांक– 6283 दिनांक 10.10.2011 एवं पत्रांक– 2237 दिनांक 06.03.2012 द्वारा स्मारित भी किया गया।

उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा द्वारा अपना मंतव्य प्रतिवेदन पत्रांक–3506/गो0 दिनांक 02.12.2012 द्वारा समर्पित किया गया है जिसमें श्री प्रसाद के स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य प्रतिवेदित किया गया है।

श्री प्रसाद के विरूद्ध प्राप्त आरोप, इनसे प्राप्त स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के मंतव्य प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त निम्न तथ्य प्रकट होते हैः–

(i) कोल्हान क्षेत्र में Wilkinson's Rule प्रभावी है जिसके अन्तर्गत मानकी/मुण्डा को विशेष अधिकार प्राप्त है, परन्तु इससे अंचल अधिकारी/अंचल निरीक्षक/हलका कर्मचारी की भूमिका समाप्त नहीं हो जाती है।

(ii) आरोप सं0– 2 के अनुसार अनुसूचित जनजाति को बन्दोबस्त भूमि कूटरचित दस्तावेज के आधार पर गैर अनुसूचित जनजाति की बिक्री की गयी है एवं उसके पक्ष में नामान्तरण स्वीकृत किया गया है। सरकार द्वारा किसी भी व्यक्ति को बन्दोबस्त की गयी भूमि बिक्री योग्य नहीं होती है।

(iii) प्रश्नगत् मामले में अनुसूचित जनजाति की भूमि का संरक्षण तो दूर उसे बन्दोबस्त की गयी भूमि की बिक्री उपरान्त फर्जी दस्तावेज को आधार मानकर उसका नामान्तरण गैर अनुसूचित जनजाति के पक्ष में किया गया है। यह राजस्व पदाधिकारी के रूप में श्री प्रसाद की विफलता, लापरवाही एवं कर्त्तव्य विमुखता को परिलक्षित करता है।

(iv) श्री प्रसाद के इस तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि उन्होंने हल्का कर्मचारी तथा अंचल निरीक्षक की अनुशंसा के आलोक में मात्र राजस्व संग्रहण हेतु नामान्तरण किया है। इसलिये आरोप प्रमाणित होते हैं।

अतः समीक्षोपरान्त श्री प्रसाद के विरूद्ध प्रमाणित पाये गये आरोपों के लिये विभागीय संकल्प सं0–1640, दिनांक 20.02.2013 द्वारा निम्न दण्ड अधिरोपित किया गया :–

1. श्री प्रसाद की चार वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोकी जाती है।
2. इन्हें निन्दन का दण्ड दिया जाता है।

उक्त दण्ड के विरूद्ध श्री प्रसाद द्वारा याचिका W.P.(S) No.-4548/2013 दायर किया गया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 08.03.2016 को पारित आदेश में श्री प्रसाद के विरूद्ध अधिरोपित दण्ड आदेश को निरस्त किया गया है। न्यायादेश का Operative part निम्नवत् है :–

5(iii)- In the instant case, after acceptance of the explanation by the Deputy Commissioner, West Singhbhum, Chaibasa, there was no occasion on the part of respondent no.-2 to differ with the opinion of the Deputy Commissioner. However, no show cause was issued prior to imposition of punishment which has prevented the petitioner to make an effective representation as envisaged under Rule 55(A) of Civil Services Rules.

6- On the cumulative effect of facts and reasons stated in the foregoing paragraphs, the impugned order of punishment dated 20.02.2013 being not legally sustainable is, hereby, quashed and set aside.

अतः माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.03.2016 के अनुपालन में विभागीय संकल्प सं0–1640, दिनांक 20.02.2013 को निरस्त किया जाता है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री प्रदीप प्रसाद, झा0प्र0से0 एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(दिलीप तिर्की)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक– 5/आरोप–1–510/2014 का०–....7166..../राँची, दिनांक .....19... अगस्त, 2016

प्रतिलिपि– विभागीय नोडल पदाधिकारी, ई0 गजट को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।